भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1073
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

स्वधार गृह योजना की स्थिति

1073. श्री गौरव गोगोईः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में वर्तमान में स्वीकृत, परिचालन वाले/गैर-परिचालन वाले स्वधार गृह (आश्रय गृह) की संख्या कितनी है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत पुनर्वासित महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या उक्त राज्य में किसी स्वधार गृह (आश्रय गृह) से कर्मचारियों की कमी, धनराशि जारी करने में विलम्ब/अवसंरचना की कमी/अंतर की सूचना प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त राज्य में उक्त योजना के लिए आवंटित, जारी/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त राज्य में दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा या विस्थापन जैसे उच्च भेद्यता संकेतकों वाले जिलों में उक्त सुविधाओं का विस्तार/उन्नयन करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.) व्यापक 'मिशन शक्ति' के तहत, पूर्ववर्ती 'स्वाधार गृह' - कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए गृह और 'उज्ज्वला'- दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए गृह योजनाओं को मिला दिया गया है और अब इन्हें 'शक्ति सदन

योजना' के रूप में जाना जाता है, जो दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण स्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण तैयार करना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आ सकें।

शक्ति सदन योजना एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है। इस योजना के तहत, किराए के परिसरों में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। असम राज्य सरकार से 20 नए सरकार द्वारा संचालित शक्ति सदनों की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे पीएबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, असम राज्य में वर्तमान में 26 शक्ति सदन कार्यशील हैं, और पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 2,396 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 26 कार्यशील शक्ति सदन में कुल स्वीकृत 234 कर्मियों में से 204 कर्मी तैनात हैं।

असम राज्य सरकार एसएनए स्पर्श पर पंजीकृत (ऑनबोर्ड) है और मंत्रालय, राज्य सरकार से पीएफएमएस पर बिल प्राप्त होने पर एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से राज्य सरकार को समय पर निधि जारी कर रहा है।

शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन के लिए असम राज्य सरकार को जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**जारी निधि (करोड़ रुपये मे)**
वित्तीय वर्ष 2022-23	1.39
वित्तीय वर्ष 2023-24	18.52
वित्तीय वर्ष 2024-25	11.72
कुल	**31.63**

*****